

यतः यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) को मांग पत्र जारी की जिसमें बकाया धन राशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गई थी। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) बैंक की धराराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः एतद्वारा ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित संपत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है। जिसका विवरण अधोवर्णित है। ऋणकर्ता (ओं) को विशेष रूप से तथा सर्व साधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेनदेन ना करें। यह संपत्ति यूको बैंक के प्रभार के अधधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि ब्याज और अन्य खर्च देय है। यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणधारको को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थावर संपत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 15.06.2018 को बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। संपत्ति की बिक्री जो है जैसी है तथा जहां है जैसी है के आधार पर की जाएगी।

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	बकाया धनराशि/ मांग सूचना/अधिग्रहण दिनांक	संपत्ति का विवरण/ बंधक संपत्ति के मालिक का नाम	आरक्षित मूल्य/धरोहर राशि/ बोली बुद्धि राशि	धरोहर राशि जमा कराने का विवरण
1.	श्रीमती बसन्ती राठौड़ पत्नी राजाराम राठौड़, श्री राजाराम राठौड़ पुत्र श्री कन्हैया लाल मकान नं. 443-ए, जैन मंदिर के पास, आर.के. पुरम कोटा।	19,00,562.30 (ब्याज एवं खर्च अतिरिक्त) मांग सूचना दिनांक 18.09.2017 अधिग्रहण तिथि 05.04.2018	श्रीमती बसन्ती राठौड़ पत्नी श्री राजाराम के नाम से आवासीय भवन मकान नं. 1256-बी, श्रीनाथपुरम पुर्नवास योजना, कोटा, क्षेत्रफल 414.26 वर्गफुट, सीमाएं- उत्तर: सड़क, दक्षिण: अन्य प्लॉट, पूर्व: मकान नं. 1255-बी, पश्चिम: मकान नं. 1257-बी	12,23,000/- (रु. बारह लाख तबीस हजार मात्र) 1,22,300/- (रु. एक लाख बाईस हजार तीन सौ मात्र) 2,000/- (रु. दो हजार मात्र)	डीडी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक, शांतिग सेन्टर, कोटा RTGS/NEFT द्वारा खाता सं. 05910210000793 IFSC Code: UCBA0000591

स्थानीय स्वशासन को देय राशि:- जो भी बकाया राशि लागू हो।

ई-नीलामी का दिनांक व समय:- दिनांक 15.06.2018 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक।

नियम व शर्त:- 1. नीलामी बिक्री ऑनलाईन ई-नीलामी जिसमें वेबसाईट <https://www.bankeauctionwizard.com> के माध्यम से दिनांक 15.06.2018 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 13:00 बजे के मध्य बोली लगाकर की जाएगी (असिमित प्रत्येक 5 मिनट का स्वतः विस्तार के प्रावधान के साथ)। 2. इच्छुक निविदाकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु नीलामी की वेबसाईट www.antaarecosystems.com पर 11:00 बजे से पूर्व M/A Antares Systems Limited, संपर्क सूत्र: श्री कुशाल बोस 07686913157, ई-मेल: kushal.b@antaarecosystems.com/ श्री हेमन्त श्रीवास्तव 8208626379, 7709933635, hemant.p@antaarecosystems.com, प्रधान कार्यालय: 08049352000/08040482000 के पोर्टल पर पंजीकरण कर लाईन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। 3. ई-नीलामी के नियमों व शर्तों के विस्तृत जानकार के लिये इच्छुक बोलीकर्ता वेबसाईट <https://www.bankeauctionwizard.com> पर देख सकते है तथा संबंधित प्रश्न डाउनलोड कर सकते है। 4. उपरोक्त संपत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जाएगी। 5. बिड निर्धारित प्रारूप पर संबंधित विवरण सहित ऑनलाईन जमा होगा। 6. ऑनलाईन बिड जमा करने की अंतिम तिथि 13.06.2018 सां. 04:00 बजे तक है। 7. सफल निविदाकर्ता को खरीदी गई संपत्ति के मूल्य का 25% (धरोहर राशि घटाकर) ई-नीलामी की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरन्त बाद उसी दिन DD/NEFT/RTGS के माध्यम से करना होगा तथा शेष 75% का भुगतान विक्रय की सूचना दिये जाने /पुष्टि किये जाने के 15 दिन या उससे पहले करना होगा। 8. यदि सफल बोलीदाता उपरोक्तानुसार राशि जमा नहीं कराए है तो उसके द्वारा जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा। 9. असफल निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई धरोहर राशि ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर लौटा दी जाएगी। 10. यह नीलामी/बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के विचारार्थ है, यह अदि ऋणकर्ता/गारंटीकर्ता ई-नीलामी से पहले बैंक की बकाया राशि जमा करा देता है तो नीलामी/बिक्री नहीं की जाएगी। 11. संपत्ति की नीलामी/बिक्री है जैसी है तथा जो है जैसी है के आधार पर की जा रही है। इच्छुक उपरोक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिकार/स्वामित्व/टैक्स एवं देयता के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो लें। ऑनलाईन बिड जमा करने के उपरान्त किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। 12. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास बिना पूर्व सूचना के बिना कोई कारण बताये किसी भी बिड को स्वीकार अथवा अस्वीकार अथवा स्थगित/बिक्री निरस्त करने/किसी भी नियम व शर्त को संशोधन करने का सांविधिकार सुरक्षित रहेगा। 13. खरीदार को नियमानुसार वर्तमान तक अधियम में संपत्ति से संबंधित समस्त शुल्क/प्रभार जैसे स्ट्याप्म शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार को देय समस्त सांविधिक राशि, कर रहन कराना होगा। विक्रय प्रमाण पत्र केवल सफल निविदाकर्ता के नाम पर ही जारी किया जायेगा। 14. इच्छुक खरीदार संपत्ति का निरीक्षण दिनांक 13.06.2018 तक बैंक कार्य समय में कर सकते है। 15. यह बिक्री सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा दशाओं के विषयाधीन है। 16. अन्य जानकार एवं बिक्री की जाने वाली संपत्ति के निरीक्षण हेतु प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक शांतिग सेन्टर, कोटा से 0744-2381163, 7597709243 एवं शाखा प्रबंधक शांतिग सेन्टर कोटा-0744-2362914, 8866611587 पर संपर्क किया जा सकता है। 17. यह ऋणकर्ता(ओं)/ गारंटीकर्ता(ओं)/के लिए विशेष रूप से तथा जनता के लिए सामान्य रूप से नोटिस है।

यतः यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्थियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) को मांग पर जारी की जिसमें बकाया धन राशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गई थी। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) बैंक की धरणाशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः एतद्वारा ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रवर्तन शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित संपत्तियों का अधिपत्य प्रकरण कर लिया है। जिसका विवरण अधोवर्णित है। ऋणकर्ता (ओं) को विशेष रूप से तथा सर्व साधारण को सामान्यता सूचित किया जाता है कि इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेनदेन ना करें। यह संपत्ति यूको बैंक के प्रभार के अधधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि ब्याज और अन्य खर्च देय है। यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणधारको को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थावर संपत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 15.06.2018 को बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। संपत्ति की बिक्री को ई जैसी है तथा जहां है जैसी है के आधार पर की जाएगी।

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	बकाया धनराशि/ मांग सूचना/अभिग्रहण दिनांक	संपत्ति का विवरण/ बंधक संपत्ति के मालिक का नाम	आरंभित मूल्य/धरोहर राशि/ बोली वृद्धि राशि	धरोहर राशि जमा कराने का विवरण
1.	रणजीत गौरव पुत्र हनुमान गौरव, सुमन गौरव पत्नी गौरव, रणजीत गौरव मकान नं. जी-929, राणेेश गुवाड़ी, माकडवाली रोड़, अजमेर।	12,06,912.00 (ब्याज एवं खर्च अतिरिक्त) मांग सूचना दिनांक 17.07.2017 अधिग्रहण तिथि 01.11.2017	रणजीत गौरव के नाम से आवासीय प्लॉट जी-460, राणेेश गुवाड़ी, पंचशील नगर, अजमेर, क्षेत्रफल 450 वर्गफीट, सीमाएं- उत्तर: मकान नं. जी-461, दक्षिण: मकान नं. जी-459, पूर्व: यूआईटी प्लॉट, पश्चिम: सड़क 40 फीट।	6,64,200/- (रु. छ: लाख चौंसठ हजार दो सौ मात्र) 66,420/- (रु. छियासठ हजार चार सौ बीस मात्र) 2,000/- (रु. दो हजार मात्र)	डीडी द्वारा-प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक, श्रीनगर रोड़ अजमेर RTGS/NEFT द्वारा खाता सं. 01860210001035 IFSC Code: UCBA0000186

स्थानीय स्वशासन को देय राशि:- जो भी बकाया राशि लागू हो।

ई-नीलामी का दिनांक व समय:- दिनांक 15.06.2018 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक।

नियम व शर्त:- 1. नीलामी बिक्री ऑनलाईन ई-नीलामी जिसमें वेबसाइट <https://www.bankeauctionwizard.com> के माध्यम से दिनांक 15.06.2018 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 13:00 बजे के मध्य बोली लगाकर की जाएगी (असिमत प्रत्येक 5 मिन्ट का स्वतः विस्तार के प्रावधान के साथ)। 2. इच्छुक निविदाकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु नीलामी की तिथि से पूर्व M/s Antares Systems Limited, संपर्क सूत्र: श्री कुशाल बोस 07686913157, ई-मेल: kushal.b@antaresystems.com/ श्री हेमन्त श्रीवास्तव 8208626379, 7709933635, hemant.p@antaresystems.com, प्रधान कार्यालय: 08049352000/08040482000 के पोर्टल पर पंजीकरण कर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। 3. ई-नीलामी के नियमों व शर्तों के विस्तृत जानकारि के लिये इच्छुक बोलीकर्ता वेबसाइट <https://www.bankeauctionwizard.com> पर देख सकते है तथा संबंधित प्रपत्र डाउनलोड कर सकते है। 4. उपरोक्त संपत्ति की बिक्री आरंभित मूल्य से कम में नही की जाएगी। 5. बिड निर्धारित राश्रु पर संबंधित विवरण सहित ऑनलाईन जमा होगा। 6. ऑनलाईन बिड जमा कराने की अंतिम तिथि 13.06.2018 सां 04:00 बजे तक है। 7. सफल निविदाकर्ता को खरीदी गई संपत्ति के मूल्य का 25% (धरोहर राशि घटाकर) ई-नीलामी की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरन्त बाद उसी दिन DD/NEFT/RTGS के माध्यम से करना होगा तथा शेष 75% का भुगतान विक्रय की सूचना दिये जाने /पुष्टि किये जाने के 15 दिन या उससे पहले करना होगा। 8. यदि सफल बोलीदाता उपरोक्तानुसार राशि जमा नही करता है तो उसके द्वारा जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा। 9. असफल निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई धरोहर राशि ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर लौटा दी जाएगी। 10. यह नीलामी/बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के विचारधीन है, यदि ऋणकर्ता/गारंटीकर्ता ई-नीलामी से पहले बैंक की बकाया राशि जमा करा देता है तो नीलामी/बिक्री नही की जाएगी। 11. संपत्ति की नीलामी 'जहां है जैसी है तथा जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। इच्छुक उपरोक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिकार/स्वामित्व/टैक्स एवं देयता के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो लो। ऑनलाईन बिड जमा कराने के उपरान्त किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नही होगी। 12. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास बिना पूर्व सूचना के बिना कोई कारण बताये किसी भी बिड को स्वीकार अथवा अस्वीकार अथवा स्थगित/बिक्री निरस्त करने/किसी भी नियम व शर्त को संशोधन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा। 13. खरीदारको को निम्नानुसार वर्तमान तथा भविष्य में संपत्ति से संबंधित समस्त शुल्क/प्रभार जैसे स्टॉम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार को देय समस्त सांविधिक राशि, कर वहन करना होगा। विक्रय प्रमाण पत्र केवल सफल निविदाकर्ता के नाम पर ही जारी किया जायेगा। 14. इच्छुक खरीदार संपत्ति का निरीक्षण दिनांक 13.06.2018 तक बैंक कार्य समय में कर सकते है। 15. यह बिक्री सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा दशाओं के विषयाधीन है 16. अन्य जानकारी एवं बिक्री की जाने वाली संपत्ति के निरीक्षण हेतु प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक श्रीनगर रोड़, अजमेर शाखा- 0145-2661072, 2426392, 7727834400 पर संपर्क किया जा सकता है। 17. यह ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता के लिए सामान्य रूप से नोटिस है। दिनांक: 15.06.2018 स्थान: श्रीनगर रोड़ अजमेर